निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1299) पटना, शुक्रवार, 1 अगस्त 2025

उद्योग विभाग

अधिसूचना

31 जुलाई 2025

सं0 05/ स०बियाडा (भू० ह0 नवादा)–18/2025–3525——मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–25.02.2025 के मद सं0–138 में दी गयी स्वीकृति के आलोक में प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में नवादा जिलान्तर्गत अंचल–रजौली के मौजा–भड़रा, थाना सं0– 124 के खाता सं0–75 एवं 76 के विभिन्न खेसराओं का कुल रकवा क्रमशः –71.67 एकड़ अनावाद बिहार सरकार एवं 9.68 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण कुल रकवा–81.35 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के ज्ञापांक–245 दिनांक–27.02.2025 द्वारा उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–1591 दिनांक–28.03.2025 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उक्त भूमि को उद्योग विभाग द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना को उपलब्ध करायी गयी साथ ही आयडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकासोपरांत औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की धारा 2 (f),3,4 (A) (i), 9 एवं अन्य सुसंगत नियमों के आलोक में विभाग द्वारा उक्त भूमि बियाडा को हस्तांतरित किये जाने का भी निर्णय लिया गया परन्तु आयडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना को हस्तांतरित की जाती है।

3. उक्त हस्तांतरण इस शर्त के साथ की जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः उद्योग विभाग को लौट जाएगी।

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 636/रा० दिनांक–12.03.1991 एवं खास महाल मैनुअल के प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से यह हस्तांतरण आच्छादित होगा।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रेरणा सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1299-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in